# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 410/2016

1. शम्भूदयाल पुत्र देवीशंकर जाति कलाल निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
2. रामदुलारी पत्नि महावीर प्रसाद जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
3. निर्मला बाई पत्नि रामनारायण जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
4. विद्या बाई पत्नि मेघराज जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. संजय पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. धनराज पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. सुनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण
4. मन्जू पुत्री लक्ष्मीनारायण
5. बृजेश पुत्री लक्ष्मीनारायण

} जाति रेगर निवासीगण मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां

6. कन्या बेवा लक्ष्मीनारायण जाति रेगर निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल
7. नन्द किशोर पुत्र जमनालाल
8. मोहनलाल पुत्र जमनालाल
9. कस्तूरचंद पुत्र जमनालाल
10. खेमराज पुत्र जमनालाल
11. रूकमणी पुत्री जमनालाल
12. कन्या बेवा जमनालाल

} जाति रेगर निवासीगण मांगरोल जिला बारां राजस्थान

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0**

**व 136 एल0आर0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवर सिंह गौड,

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज गालव

Web Copy - Not Official

दावा दिनांक 15.07.2016

निर्णय दिनांक : 26.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 1032 नया 997 पुराना खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 वाके माल मांगरोल में स्थित है। इस खाते में प्रत्येक वादीगण 1 ता 3 का हिस्सा 1/6 निहित व वादी कम 4 का हिस्सा 1/2 नियत है। उक्त वर्णित आराजी के पास ही प्रतिवादीगण की आराजी खाता संख्या 993 नया 957 पुराना के खाते खसरा नं0 1342 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 1344 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 1354/5053 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.53 है0 स्थित है। इस आराजी का खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 साबिक नं0 2581 मिन रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा है, इस खसरा नं0 2581 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा आराजी पुराना नक्शा में एक टुकडा दर्शाया गया है जो चोकोर है। इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी का पुराना साबिक नं0 2482 किन दर्शाया गया है। बाद सेटलमेंट खसरा नं0 2582 के नये खसरा नं0 4391 व खसरा नं0 2581 का नया खसरा नं0 4392 व खसरा नं0 4392 कर दिये है खसरा नं0 4391 प्रार्थीगण का खेत है व खसरा नं0 4392 अप्रार्थीगण का खेत है। मौके की स्थिति के अनुसार आज भी उपरोक्त वर्णित खेत पूर्व की स्थिति में है। सेटलमेंट विभाग की गलती के कारण प्रार्थीगण की आराजी का एक टुकडा खसरा नं0 4392 करके अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया है, जो सर्वथा गलत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का नया नक्शा खसरा नं0 4391 व 4392 को सेटलमेंट पूर्व के खसरा नं0 2581 व 2582 कस्बा मांगरोल के अनुसार करने के आदेश प्रदान करें। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की आराजी पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 4, 5 व 7 आदिनांक तक अनुपस्थित बावजूद सूचना प्रतिवादी कम 4, 5 व 7 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी कम 4, 5 व 7 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3, 6, 8 ता 12 की ओर से वकील श्री मनोज कुमार गालव ने दिनांक 05.03.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 मिला क्षेत्रफल 2044–2063 नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2069–2072, नक्शा ट्रेस 1982, नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2034–2036, नक्शा ट्रेस 2011–14, नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2044–2063, नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2069–2073 पेश किये गये जो

इसने पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी कम 1, 2, 3, 6, 8 ता 12 की अन्तिम बहस दिनांक 26.04.2018 सुनी गयी। बहस में वकील वादीगण ने उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसे वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। वकील प्रतिवादी कम 1, 2, 3, 6, 8 ता 12 श्री मनोज कुमार गालव, वादीगण द्वारा किये गये कथन से पूर्ण सहमत है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 1, 2, 3, 6, 8 ता 12 वादीगण की खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करते है व अपने खाते की आराजी पर काबिज होकर शांतीपूर्वक काश्त कर रहे है। सुनी गयी अन्तिम बहस से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 12 अपनी अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं दोनो परस्पर एक दूसरे की आराजी में हस्तक्षेप नही करते है। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 12 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि पटवारी पटवार हल्का मांगरोल को निर्देशित कर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 12 की खाते की आराजी का सीमाज्ञान वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 12 को मौके पर करवाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार हो निर्णय से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।